भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5705

जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है

जनजातीय और सुदूर क्षेत्रों में निःशुल्क विधिक सहायता सेवाएं

5705. श्री काली चरण सिंह :
डॉ. मन्ना लाल रावत :
श्री खगेन मुर्मु :
श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ :
श्री भोजराज नाग :
श्रीमती हिमाद्री सिंह :
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया :
श्री गजेन्द्र सिंह पटेल :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) देश भर में विधिक सहायता प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ;
(ख) क्या सरकार की राजस्थान और देश भर में सुदूर और जनजातीय क्षेत्रों में निःशुल्क विधिक सहायता सेवाओं का विस्तार करने की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और
(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि हाशिए पर रहने वाले समुदायों को इन सेवाओं की जानकारी हो और वे इनका लाभ उठा सकें ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : सरकार ने विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की स्थापना की है, ताकि अधिनियम की धारा 12 के अधीन आने वाले समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान की जा सकें। इस प्रयोजन के लिए तालुक न्यायालय स्तर से लेकर उच्चतम न्यायालय तक विधिक सेवा संस्थान स्थापित किए गए हैं। उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति (एससीएलएससी) उच्चतम न्यायालय में कार्य करती है, जबकि 38 उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियां (एचसीएलएससी), 37 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए), 708 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) और 2439 तालुक विधिक सेवा समितियां (टीएलएससी) हैं। सरकार विधिक सेवा प्राधिकरणों/संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए अनुदान सहायता के रूप में सभी प्रकार की सहायता प्रदान करती है। अनुदान सहायता के अधीन सरकार द्वारा वार्षिक आधार पर नालसा को निधि आवंटित और निर्गत की जाती है।

विधिक सेवा प्राधिकरणों के प्रदर्शन की निगरानी करने के लिए, नालसा सभी एसएलएसए से मासिक गतिविधि रिपोर्ट प्राप्त करता है, जिसमें किसी विशेष महीने में की गई सभी गतिविधियों पर प्रकाश डाला जाता है। इसके पश्चात्, नालसा द्वारा मासिक आधार पर एक अंतिम गतिविधि रिपोर्ट सरकार को भेजी जाती है। मासिक गतिविधि रिपोर्टों के अतिरिक्त, नालसा सभी एसएलएसए से वार्षिक रिपोर्ट भी प्राप्त करता है और अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है, जिसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा

जाता है। इसके अतिरिक्त, नालसा द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरणों के प्रदर्शन की निगरानी के लिए अखिल भारतीय और क्षेत्रीय बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

भारत सरकार नालसा के माध्यम से एक केंद्रीय क्षेत्र स्कीम, विधिक सहायता बचाव परामर्श प्रणाली (एलएडीसीएस) भी लागू कर रही है। एलएडीसीएस स्कीम के अधीन, एलएसए अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन विधिक सहायता के लिए पात्र हिताधिकारियों को ही आपराधिक मामलों के संबंध में विधिक सहायता प्रदान की जाती है। एलएडीसीएस स्कीम का उद्देश्य आपराधिक न्यायालय आधारित विधिक सेवाओं को मजबूत करना और हिताधिकारियों को सभी आपराधिक मामलों में, विचारण और अपील के चरणों में विधिक सेवाएं प्रदान करना है । 31 दिसंबर 2024 तक , देश भर के 654 जिलों में एलएडीसी कार्यालय कार्यरत हैं और इसमें 3448 बचाव काउंसेल सहित 5251 कर्मचारी कार्यरत हैं। वर्ष 2024-25 (दिसंबर, 2024 तक) के दौरान, एलएडीसीएस कार्यालयों ने 3.95 लाख से अधिक आपराधिक मामलों का निपटारा किया।

(ख) और (ग) : एलएसए अधिनियम, 1987 की धारा 12 राजस्थान के दूरदराज एवं आदिवासी क्षेत्रों सहित पूरे देश में हकदार व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सेवाएं सुनिश्चित करती है। बच्चों, मजदूरों, आपदा पीड़ितों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, विकलांगता से पीड़ित व्यक्तियों आदि से संबंधित विभिन्न विधियों और स्कीमों पर विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा पूरे देश में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण विभिन्न विधियों पर सरल भाषा में पुस्तिकाएं एवं पैम्फलेट भी तैयार करते हैं तथा लोगों में वितरित किए जाते हैं। वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 (दिसंबर 2024 तक) के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा 12,49,496 एवं 1,26,966 विधिक जागरूकता शिविर एवं कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें क्रमशः लगभग 13.93 करोड़ एवं 3.06 करोड़ व्यक्तियों ने भाग लिया ।

*****